फर्द अहकाम

प्रवीण चौधरी बनाम कैलाशी देवी

ालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 01/2024

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02/12/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार तूंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादपत्र को अंतिम रूप से डिक्री करने हेतु निवेदन किया। वादी अधिवक्ता को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता को वादपत्र एवं विभाजन प्रस्ताव पर सुनने के उपरान्त हम पाते है कि तहसीलदार तूंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष पक्षकारो के हस्ताक्षर है एवं किसी भी पक्षकार द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है जिससे विभाजन प्रस्ताव सही बनकर आये है प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार तूंगा के पत्रांक भू.अ./2024/2457 दिनांक 08/08/2024 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08/08/2024 वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त अराजी	

[illegible]

फर्द अहकाम

प्रवीण बनाम कैलाशी देवी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 01/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		खसरा न. 249/1 रकबा 1.1381 हैक्ट. स्थित ग्राम दूबली प.ह. गढ़. तह-तूंगा जि. जयपुर मे से खसरा न. 249/2 रकबा 0.5058 हैक्ट. कि भूमि खातेदार कैलाशी देवी पत्नि स्व. रामकरण हिस्सा 1/2, श्यामसिंह पुत्र रामकरण हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा. देह के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 249/3 रकबा 0.6323 हैक्ट. कि भूमि खातेदार डा. प्रवीण चौधरी पुत्र धीरज सिंह हिस्सा 1 जाति जाट निवासी C-84 जनपथ लालकोठी टोंक रोड गाँधीनगर जयपुर के हिस्से मे रहेगी। प्रकरण मे फौत हुये पक्षकार के विधिक वारिसान की जाँच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने की कार्यवाही तहसीलदार तूंगा करें। डिक्री पर्चा जारी हो। अनुमोदित विभाजन प्रस्ताव व नक्शे की छाया प्रति तहसीलदार तूंगा को भिजवाया जावे। इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिप्रा जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादीयागण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. डॉ0 प्रवीण चौधरी पुत्र धीरज सिंह जति जाट, निवासी सी–84, जनपथ, लालकोठी, टोंक रोड गांधी नगर जयपुर,राज0।		1. कैलाशी पत्नि रामकरण जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम दूबली, तह0 तूंगा जिला जयपुर, राज0। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक तूंगा तहसील तूंगा, तह0 तूंगा जिला जयपुर।

<u>दावा बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

मुकदमा नम्बर 01/2024

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 249/1 रकबा 1.1381 है0, स्थित ग्राम दूबली प0ह0 गढ तह0 तूंगा जिला जयपुर में से ख0नं0 249/2 रकबा 0.5058 है0, की भूमि खातेदार कैलाशी देवी पत्नि रामकरण हिस्सा 1/2, श्यामसिंह पुत्र रामकरण हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख0नं0 249/3 रकबा 0.6323 है0 की भूमि खातेदार डा0 प्रवीण चौधरी पुत्र धीरज सिंह हि0 1 जाति जाट निवासी सी–84 जनपथ लाल कोठी टोंक रोड, गांधीनगर जयपुर के हिस्से में रहेगी। प्रकरण में फोत हुए पक्षकार के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने की कार्यवाही तहसीलदार तूंगा करें।........निजी...................मुबलिक.......................बाबत.. खर्चा.......................................इस मुकददमें का मय सूद वगैरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 02.12.2024 को जारी किया गया।

मोहर

ओहदा.............................

दस्तख्त..................................

सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला – जयपुर ग्रामीण

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सवूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			वावत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण